

निर्णय
21-11-2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
राजाराम बनाम कालूराम
प्रकरण संख्या/७2 वर्ष 2024

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
29.10.2024	<p>प्रार्थी की तरफ से वकील श्री सन्तलाल बिजारणिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 28.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">८११</p> <p style="text-align: center;"> मुकुलान कार्यालय उपखण्ड/PU माफिक रावतसर प्रार्थना पत्रावली पेश करने की तिथि 28.11.2024 को पेश है </p>	<p style="text-align: right;">Rajaram</p>
21.11.2024	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी अवजुद विधिवत रजि. समन वाकिल के उपस्थित नहीं। इसलिए अप्रार्थी के खिलाफ कार्रवाई कलकला कम्पल में ली जाती है। वकील प्रार्थी को हुना जमा। पत्रावली का क्लॉक कर किमा गमा। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सांस आता ही करे से अरही-अरही करे बेचान करने पर उताक है लेकिन सांस आता ही शक्ति में कोई भी सिस्टम विजिप्ट कू. भाग का बेचान नहीं कर सकता है। अतः प्रथम ट्रायल प्रकल अप्रार्थी के पक्ष में ना होवर अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खरिज किमा जाता है। पत्रावली नजर से कमा की जावद दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">८११</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p>	